राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 9 (671) परि/आरटीए/मु./09/ 11880 जयपुर, दिनांक : 19/9/11

अधिसूचना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 921 (अ) दिनांक 13.08.1993 के निर्देषानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 74 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर को निम्न दिशा–निर्देश जारी करती है, अर्थात् :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि बीकानेर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या को सीमित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः बीकानेर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले तीन पहिया ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथी से उपरोक्त वाहनों के अनुज्ञापत्र की संख्या 5000 तक सीमित करेगा तथा बढे हुए स्कोप में एल. पी.जी/सी.एन.जी. चलित तिपहिया वाहनों को ही अनुज्ञापत्र दिये जाने की स्वीकृति दिया जाना एवं वर्तमान में संचालित तिपहिया वाहनों में से मॉडल कन्डीशन पूरी कर चुके वाहनों का प्रतिस्थापन (Replecement) केवल एल.पी.जी./सी.एन.जी. से ही किये जाने की स्वीकृति प्रदान करेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(मदन सिंह काला)
उप शासन सचिव